न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः— 27 / 2019 तारीख रजू 27.05.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. राकेश कुमार जैन पुत्र श्री कमल कुमार जैन निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं खाद्य कारोबार कर्ता) मैसर्स राकेश कुमार अमित कुमार शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर
2. प्रवीण व्यास पुत्र श्री मोहन व्यास, निवासी 4 ठ 13 जवाहर नगर जयपुर राजस्थान 302004 डायरेक्टर मैसर्स पवन स्पेस्लिटीज प्रा0 लि0 26 ए सूरज नगर ईस्ट सिविल लाइन्स जयपुर राजस्थान 302006
3. नवीन व्यास पुत्र श्री मोहन व्यास, निवासी 4 ठ 13 जवाहर नगर जयपुर राजस्थान 302004 डायरेक्टर मैसर्स पवन स्पेस्लिटीज प्रा0 लि0 26 ए सूरज नगर ईस्ट सिविल लाइन्स जयपुर राजस्थान 302006
4. मैसर्स पवन स्पेस्लिटीज प्रा0 लि0 26 ए सूरज नगर ईस्ट सिविल लाइन्स जयपुर राजस्थान 302006
5. रविन्द्र सिंह प्रो0 मैसर्स आर एस एन ट्रेडिंग कम्पनी रामनगर पुराना बस स्टेण्ड के पास गुलाहोटी बुलन्दशहर उत्तरप्रदेश

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः— दिनांक 26 / 07 / 2022

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 14.02.2019 को समय 02.30 पी.एम. पर मैसर्स राकेश कुमार अमित कुमार शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर पर पहुंचा वहॉ पर विक्रेता राकेश कुमार जैन पुत्र श्री कमल कुमार जैन निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर मिले जिसको आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन / खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

किया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 500 मिली. गत्तापैक के पेकिट** दुकान में रखे मिले के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 500 मिली. गत्तापैक** के चार पेकिट वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 600/- रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक द्वारा खरीद शुदा खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 500 मिली.** के चारो पेकिटों को मूल ही लेकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक-एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच 1321 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता राकेश कुमार जैन पुत्र श्री कमल कुमार जैन एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहॉ जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग-अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गईं। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक/एफएसएसए/2018/1709 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 67/एफएसएसए/एक्ट/2018/153 दिनांक 15.03.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस)** Misbranded पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने Misbranded खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र पर ... होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण ... स्वंय एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:42 IST
Reason: SelfAttested

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा **देशी घी (पारस)** मिसब्राण्ड खाद्य प्रकृति के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कथन जिस प्रकार से वर्णित है कि अभियुक्त द्वारा कोई मिसब्राण्ड प्रकृति **देशी घी (पारस)** ब्राण्ड का विक्रय किया हो, गलत है तथा अस्वीकार है। अभियुक्तगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2. 2(10) की धारा का उल्लघंन किये जाने का बयान किया गया है परन्तु उत्तर देने वाले प्रतिवादी कमांक 1 व 5 ने निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) में कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) का सारभूत अनुपालन किया गया है एवं वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। सैंपल ली गई वस्तु में जो वास्तविक घोषणा पायी गयी थी अर्थात "पैकिंग की तिथि से 9 के पूर्व" उससे अधिक सूचित करता है जो कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में खरीदने वालों को सूचित किया जाना आवश्यक था "तिथि के" शब्द का प्रयोग मात्र एक अधिशेष समय, उत्तर दे रहे प्रतिवादी को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है। उक्त धारा का किसी भी प्रकार से उल्लघंन नहीं किया गया है। अतः न्याय निर्णयन आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 67/एफएसएसएल/एक्ट/2018/153 दिनांक 15.03.2018 के अनुसार विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(10) की धारा का उल्लघंन का दोषी माना गया है जबकि अभियुक्तगण द्वारा लिखित कथन कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) का सारवान अनुपालन किया है एवं वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। सैंपल ली गई वस्तु में जो वास्तविक घोषणा पायी गयी थी अर्थात "पैकिंग की तिथि से 9 के पूर्व" उससे अधिक सूचित करता है जो कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में खरीदने वालों को सूचित किया जाना आवश्यक था "तिथि के" शब्द का प्रयोग मात्र एक अधिशेष समय, उत्तर दे रहे प्रतिवादी को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि [illegible] सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है को भी नजर अन्दाज नहीं [illegible]या [illegible] सकता है। इस संबंध में अभियुक्त द्वारा भिन्न–भिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों [illegible]रू दासन बनाम फूड इंस्पेक्टर, मदुरई कोरपोरेशन, मदुरई–2010–1 एफ[illegible] 40, मद्रास उच्च न्यायालय , ए. राजा सिंह एवं अन्य बनाम द फूड इंस्पेक्टर, 2008(1) एफ.ए.सी. 172 , टी. प्रभू [illegible]ड एनोदर बनाम द स्टेट 2007 (1) एफ.ए.सी. 314, मद्रास उच्च न्यायालय , हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड एण्ड अदर्स बनाम फूड इंस्पेक्टर, 2007 (1) एफ.ए.सी. 299, मद्रास उच्च न्यायालय , रामबाबू रस्तोगी बनाम राज्य 2012(1) एफ.ए.सी. 56, दिल्ली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:42 IST
Reason: SelfAttested

उच्च न्यायालय , ओम प्रकाश नटानी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, आदि) का भी हवाला दिया गया है जिनमें उक्त बिन्दु को निर्धारण किया गया है और पूर्व के निर्णयों/आदेशों को निरस्त किया गया है। .इस प्रकार खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) के उल्लंघन के आरोप में मेरी राय में संदेह का लाभ अप्रार्थीगण को दिया जाना उचित होगा क्योंकि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक मात्र शिकायत शब्द "**की तिथि**" से थी जोकि याचिकाकर्ता द्वारा लेवल पर जोडा गया था यहां तक कि और अन्यथा, लेवल की घोषणा का उद्देश्य यह था कि ग्राहक को वस्तु खरीदते समय इस बात की जानकारी हो कि जिस वस्तु को वह खरीद रहा है वह वस्तु प्रयोग किये जाने योग्य है और किस समय तक उस वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण उपरोक्त प्रस्तुतियों और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग और लेवलिंग विनियम के विनियम 2.2.2(10) के अन्तर्गत कोई अपराध मेरी राय में कारित नहीं किया है।

उक्त विवेचन के आधार खाद्य विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट संख्या 67/एफएसएसएल/एक्ट/2018/153 दिनांक 15.03.2018 के अनुसार अभियुक्त के प्रतिष्ठान पर से लिया गया सेम्पल **देशी घी (पारस)** मेरी राय में न तो मिस ब्राण्ड पाया गया है और ना हीं सब स्टेण्डर्ड। अतः मेरी राय में प्रकरण निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस तरीके के प्रकरणों को प्रस्तुत करने से पूर्व भली–भांति जांच कर लें।

निर्णय आज दिनांक 26/7/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:42 IST
Reason: SelfAttested